[लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 113-सी

[दि बैंकिंग रेगुलेशन (अमेडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 4 मई, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

नई धारा 35कक और धारा 35कख का अंत:स्थापन ।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 35क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 1949 का 10

केन्द्रीय सरकार की रिजर्व बैंक को बैंककारी कंपनियों को दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति ।

'35कक. केन्द्रीय सरकार, किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन किसी व्यतिक्रम की बाबत दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकेगी । 2016 का 31

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "व्यतिक्रम" पद का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 के खंड (12) में उसका है । 2016 का 31

रिजर्व बैंक की दबावयुक्त आस्तियों के संबंध में निदेश जारी करने की शक्ति ।

35कख. (1) धारा 35क के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक समय-समय पर, दबावयुक्त आस्तियों के समाधान के लिए किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को दबावयुक्त आस्तियों के समाधान के संबंध में सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों या समितियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनमें ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे, जिन्हें रिजर्व बैंक नियुक्त करे या नियुक्ति का अनुमोदन करे ।'।

धारा 51 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में "35क" अंकों और अक्षर के पश्चात् "35कक, 35कख" अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का निरसन किया जाता है । 2017 का अध्यादेश संख्यांक 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1949 का 10

GMGIPMRND—1726LS(CRC)—03-08-2017.